

Letter no- 212 /NGT. OA No- 200/2024

Date- June 20, 2024

From,

Rajendra Prasad,  
Regional Officer,  
U.P. Pollution Control Board,  
Firozabad.

To,

The Registrar,  
National Green Tribunal,  
Principal Bench,  
New Delhi.  
E-mail : judicial-ngt@gov.in

**Sub.: Joint Committee Inspection Report in compliance of the order dated 30.04.2024 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi in Original Application No. 200/2024 In Re: Udai Pratap Singh Versus State of Uttar Pradesh & Ors.**

Sir,


Most respectfully it is submitted that in compliance of the orders passed by this Hon'ble Tribunal in the matter of O.A. No.200/2024, Udai Pratap Singh Versus State of Uttar Pradesh & Ors., the members have been nominated in the joint committee by the concern authorities and the committee has carried out field visits on 12.06.2024.

Therefore, the Joint committee inspection report is attached herewith and forwarded to you with the request that the same may place before the Hon'ble Tribunal for kind perusal and consideration please.

**Encls: As above**

Firozabad.  
Dated: 20.06.2024

Yours Sincerely,



**(Rajendra Prasad)**  
Regional Officer,


**Joint Committee Inspection Report in compliance of Hon'ble National Green Tribunal order dated 30.04.2024 in the matter of Original Application No- 200/2024 Udai Pratap Singh Vs State of Uttar Pradesh and Others**

---

**1. Background**

Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi passed order on dated 30.04.2024 in the matter of O.A. No- 200/2024, Udai Pratap Singh versus State of Uttar Pradesh and others. The operative part of the order is as follows: -

4. In view of the averments made in the application, we consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and take appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of representatives of Uttar Pradesh Pollution Control Board and District Magistrate, Mainpuri and direct the same to undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponent, verify the factual position and take appropriate remedial action by following due course of law. The Uttar Pradesh State Pollution Control Board will be the nodal agency for coordination and compliance.
5. Factual and Action taken Report by the Joint Committee be filed by email at [judicial-ngt@gov.in](mailto:judicial-ngt@gov.in) preferably in the form of searchable PDF/OCR supported PDF and not in the form of Image PDF at least one week before the date hereby fixed.
6. In case of non-compliance exemplary costs may be imposed on members of the Joint Committee and also on the nodal agency.
2. In compliance of direction issued by Hon'ble National Green Tribunal following members have been nominated for the said Joint Committee by the concern departments regarding compliance of above Hon'ble National Green Tribunal order: -

Sr. No	Name	Designation	Member nominated by
1	Smt Sandhya Sharma	SDM, Bhogawan, District - Mainpuri	District Magistrate, Mainpuri
2	Shri Rajendra Prasad	Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Firozabad	UPPCB

3. Hon'ble NGT vide order dated 30.04.2024, the Joint Committee is directed to verify the factual position and take appropriate remedial action. Joint Committee is also directed to undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponent, verify the factual position and take appropriate remedial action by following due course of law.
4. In compliance the Hon'ble NGT dated 30.04.2024, letter dated 01.06.2024 sent to applicant and representative of the concerned project proponent for present during the joint committee inspection on dated 12.06.2024 at 1.00 PM.
5. The nominated Joint Committee Members has carried out visit the brick kiln place on 12.06.2024. During the field visit/ survey, the committee members interacted with the applicant Mr. Udai Pratap Singh and representative of the project proponents of brick kiln Mr V.K. Singh.
6. During the committee visit, applicant raised his allegation that the construction of new brick kiln is being done with violation of site guideline for brick kiln publish by Paryavaran Anubhag vide letter dated 27.06.2012. The habitant of village- Manchhana, Summerpur, Shivsingh Pur, Nagala Karan Singh is situated with in one km radius. Karma Kshetra Inter Collage, Historical place Khhappar wale baba, Mango orchard, Health Centre is also situated with in one km radius. Zig zag



technology-based brick kiln is not being installed neither green belt, boundary wall and lightening arrestor is being installed.


7. As per information provided by Regional Officer, U. P. Pollution Control Board, Firozabad, according the notification issued by Paryavaran Anubhag vide letter no. 921/ 55- Parya. / 12- 94(Parya)/ 11, Lucknow dated 27.06.2012 regarding site guideline for brick kiln site. brick kiln place (M/s B. D. Village- Singhpur Manchhana, Parwatpur road, Tehsil- Bhogawan, District- Mainpuri) is not feasible.

During the inspection on dated 29.09.2021, brick kiln (M/s B.D. Brick Field, Village- Singhpur Manchhana, Parwatpur road, Tehsil- Bhogawn, District- Mainpuri) was found under construction without obtaining CTE from U. P. Pollution Control Board, notice was issued to Brick kiln owner vide letter vide letter dated 07.10.2021 (**Annexure-1**) and recommended to issue the closer order against the illegal under constructed brick kiln vide letter dated 02.11.2021(**Annexure-2**).

The order/direction was issued vide letter dated 30.12.2021 to stop the illegal under constructed brick kiln under the provision of Air (Pollution Prevention and Control) Act, 1974 and its amended (**Annexure-3**). In compliance of above closer order, the official's team of district administration, Mainpuri and U. P. Pollution Control Board, Firozabad was closed on dated 04.05.2022 (**Annexure-4**).

8. The committee interacted with the applicant & project proponents of brick kiln and also visited the point of concerns raised in the application. It was observed by the committee during the site visit, details are given as below: -

- 8.1) As per Lekh pal report (**Annexure-5**), distance of habitation, Orchid, Schools, Petrol Pump, other nearest brick kiln, and National/ State Highway from brick kiln is as bellow: -



S. No	Particulars as mentioned in Brick site guideline, 2012	Standard	Actual status with direction from brick kiln site	According to standard (Yes/ no)
1	Status of habitant with distance			
	a) Distance from notified municipal area	<b>5.0 KM</b>	NPP, Maipuri on approx. 4.7 KM	<b>NO</b>
	b) Residential area having a minimum population of people or 20 houses including both kachcha pucca houses.	<b>500 meters</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In North- West direction on approx. 350 meters village- Nagala Karan (population approx.- 50)</li> </ul>	<b>NO</b>
	c) Residential area having a population more than 150 or more than 20 houses including both kachcha and pucca houses.	<b>1.0 KM</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In North- West direction on approx. 900 meters village- Manchhana (population approx.- 3500)</li> <li>• In East direction on approx. 750 meters village- Shivsinghpur (population approx.- 800)</li> <li>• In North direction on approx. 1100 meters village- Sumerpur (population approx.- 400)</li> </ul>	<b>NO</b>
2	Registered hospital, Sschool, Public building, religious place or a place where flammable substances are stored.	<b>1.0 KM</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In North- West direction on approx. 1000 meters Karma Kshetra Inter Collage.</li> <li>• In North- West direction on approx. 950 meters PHC, WHC, Pashu Ashaptal, on approx. 920 meters PM Shri Composite Vidyalaya Manchhana.</li> </ul>	<b>NO</b>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• In North direction on approx. 1000 meters temple.</li> <li>• In South- West direction on approx. 400 meters religious place Khhappar wale baba.</li> </ul>	
3	Notified sensitive areas like Zoo, wild life sanctuary, historic monuments, museum etc.	<b>5.0 KM</b>	Not exist	<b>YES</b>
4	From the sides of railway tracks	<b>200 meters</b>	Not exist	<b>YES</b>
5	From National and State highway from the both sides of the road	<b>300 meters</b>	Not exist	<b>YES</b>
6	From the both sides of the main district road/ PWD roads	<b>100 meters</b>	Not exist	<b>YES</b>
7	Distance between two brick kilns to avoid clustering of brick kilns	<b>800 meters</b>	Not exist	<b>YES</b>
8	Brick Kiln should not be allowed to install in the 'Buffer zone' of a notified fruit belt	<b>Not allowed</b>	Not exist	<b>YES</b>
9	Mango orchard/ Mixed fruits (mango and other) orchard (having at least 100 fruiting trees)/ joint nursery or collectively should not be less than 2.5 acre.	<b>800 meters</b>	In North direction on approx. 650 meters mango orchard area 0.88 acre.	<b>YES</b>



As per above detail brick kiln site of M/s B.R. Ent Udyog (Earlier name M/s B.D. Brick Field), Village- Singhpur Manchhana, Parwatpur road, Tehsil- Bhogawn, District- Mainpuri (Coordinate- latitude- 27.1824600, Longitude- 79.0688110) is not

feasible according to particulars mentioned in brick kiln site guideline “**THE UTTAR PRADESH BRICK KILNS (SITING CRITERIA FOR ESTABLISHMENT) RULES, 2012**” notified by Paryavaran Anubhag, U.P. Shashan, Lucknow vide letter no. 921/55- Parya. / 12- 94(Parya)/ 11, Lucknow dated 27.06.2012.


- 8.2) Brick kiln trench in rectangle shape and brick constructed 30 meters high stack from ground level is installed.
- 8.3) Zig Zag Technology based brick kiln has been installed.
- 8.4) Lightning arrestor has not been installed on brick kiln stack.
- 8.5) Boundary wall has not been made around the brick kiln.
- 8.6) Green belt has not been developed around the brick kiln.
- 8.7) Consent to Establish (CTE) has not been obtained before installation of brick kiln.
- 8.8) The order/direction was issued by U. P. Pollution Control Board vide letter dated 30.12.2021 to stop the illegal under constructed brick kiln under the provision of Air (Pollution Prevention and Control) Act, 1974 and its amended (**Annexure-3**). In compliance of above closer order, the official’s team of district administration, Mainpuri and U. P. Pollution Control Board, Firozabad was closed the brick kiln on dated 04.05.2022 (**Annexure-4**).
- 8.9) During the inspection of joint committee, the brick kiln namely M/s B.R. Ent Udyog (Earlier name M/s B.D. Brick Field), Village- Singhpur Manchhana, Parwatpur road, Tehsil- Bhogawn, District- Mainpuri (Coordinate- latitude- 27.1824600, Longitude- 79.0688110) was found closed and no any activity was found regarding operation on said brick kiln site.

**9. Finding and recommendations:**

- 9.1) The mining department, Zila Panchayat, Department of sale tax can be asked to restrict the operation of brick kiln and not issue the permission to brick kiln by concerned department without valid permission of the U.P. Pollution Control Board,
- 9.2) The project proponent can be asked for operation of brick kiln will not be done without obtaining the valid permission of the U.P. Pollution Control Board.

Sr. No	Name	Designation	Signature
1	Smt Sandhya Sharma	SDM, Bhogawan, District - Mainpuri	 18/6/24
2	Shri Rajendra Prasad	Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Firozabad	 18/06/2024

Photograph of M/s B.R. Ent Udyog (Earlier name M/s B.D. Brick Field),  
Village- Singhpur Manchhana, Parwatpur road, Tehsil- Bhogawn,  
District- Mainpuri



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
Regional Office, Uttar Pradesh Pollution Control Board  
भवन सं०-3/5 बी, सेक्टर-3, सुहाग नगर, फिरोजाबाद।

Annex-1

संदर्भ संख्या:- 540 / 5410-74 / 2021

दिनांक:- 07 / 10 / 2021  
पंजीकृत

सेवा में

मै० बी०डी० ब्रिक फील्ड (निर्माणाधीन चिमनी/भट्ठा),  
ग्राम-सिंहपुर मन्छना, पर्वतपुर रोड, तहसील-भोगांव,  
जनपद-मैनपुरी।  
द्वारा  
श्री भू दयाल सिंह पुत्र श्री राम सेवक,  
ग्राम-सिंहपुर मन्छना, तहसील-भोगांव,  
जनपद-मैनपुरी।

विषय- ग्राम-सिंहपुर मन्छना, पर्वतपुर रोड, तहसील-भोगांव, जनपद-मैनपुरी में बिना अनापत्ति/सहमति प्राप्त किये अनाधिकृत रूप से ईंट उत्पादन हेतु निर्माणाधीन चिमनी के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कार्यालय की टीम द्वारा दिनांक 29.09.2021 को स्थलीय/सर्वेक्षण के समय संज्ञान में आया है कि आप द्वारा अनाधिकृत रूप से ईंट उत्पादन हेतु पक्की चिमनी का निर्माण ग्राम-सिंहपुर मन्छना, पर्वतपुर रोड, तहसील-भोगांव, जनपद-मैनपुरी में किया जाता पाया गया। अवगत कराना है कि ईंट भट्ठा स्थल उ० प्र० शासन, पर्यावरण अनुभाग के सं० 921/55-पर्या०/12-94 (पर्या०)/11 लखनऊ दिनांक 27.06.12 द्वारा नये ईंट भट्ठों के सम्बन्ध में जारी प्रदेश ईंट भट्ठा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 के अनुसार उर्पयुक्त प्रतीत होता है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अनाधिकृत रूप से नियम विरुद्ध ईंट उत्पादन हेतु पक्की चिमनी का निर्माण किन परिस्थितियों में किया जा रहा है, के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण एक सप्ताह के अन्दर कार्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में आपके ईंट भट्ठे के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम, 1981 (यथा संशोधित) में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत अग्रिम आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। कार्यालय द्वारा सक्षम अधिकारी को प्रेषित संस्तुति के आधार पर आपके ईंट भट्ठे के विरुद्ध की गयी किसी भी प्रतिकूल कार्यवाही एवं ईंट भट्ठे की स्थापना पर किये गये निर्माण, व्यय का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपके स्वयं के ईंट भट्ठे का होगा।

भवदीय

(मनोज कुमार)  
क्षेत्रीय अधिकारी (प्र०)

प्रतिलिपि-

1. जिला अधिकारी महोदय, मैनपुरी को सूचनाार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-4), उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. असिस्टेंट कमिश्नर, वाणिज्यकर, मैनपुरी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि मै० बी०डी० ब्रिक फील्ड, मैनपुरी की निर्माणाधीन चिमनी/ईंट भट्ठा को अनुज्ञा/अनुमति प्रदान नहीं किया जाये।
4. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, मैनपुरी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि मै० बी०डी० ब्रिक फील्ड, मैनपुरी की निर्माणाधीन चिमनी/ईंट भट्ठा को अनुज्ञा/अनुमति प्रदान नहीं किया जाये।
5. जिला खनन अधिकारी, खनन विभाग, मैनपुरी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि मै० बी०डी० ब्रिक फील्ड, मैनपुरी की निर्माणाधीन चिमनी/ईंट भट्ठा को अनुज्ञा/अनुमति प्रदान नहीं किया जाये।

(मनोज कुमार)  
क्षेत्रीय अधिकारी (प्र०)

o/c



क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
Regional Office, Uttar Pradesh Pollution Control Board  
भवन सं०-3/5 बी, सेक्टर-3, सुहाग नगर, फिरोजाबाद।

संदर्भ संख्या:- 621 / सा०-74 / 2021

दिनांक:- 02 / 10 / 2021

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-4),  
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
लखनऊ।

**विषय:- निर्माणाधीन चिमनी/ईट भट्टों को वायु प्रदूषण (निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस/बन्दी आदेश जारी किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक निर्माणाधीन स्थिर चिमनी/ईट भट्टों का दिनांक 29.09.2021 को निरीक्षण/सर्वेक्षण किया गया। निरीक्षण/सर्वेक्षण में पाया गया कि निम्नलिखित ईट भट्टा स्वामी द्वारा नई स्थिर चिमनी/ईट भट्टा का निर्माण अनाधिकृत एवं नियम विरुद्ध रूप से किया जा रहा है, जिसके सम्बन्ध में कोई अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया है। समस्त निम्नलिखित तीनों ईट भट्टों का निर्माणाधीन भट्टा स्थल, उ० प्र० शासन, पर्यावरण अनुभाग के सं० 921/55-पर्या०/12-94 (पर्या०)/11 लखनऊ दिनांक 27.06.12 द्वारा ईट भट्टा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 के अनुसार नवनिर्मित चिमनी/ईट भट्टा स्थल उचित/उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है। तत्कम में निम्नलिखित ईट भट्टों को इस कार्यालय द्वारा दिनांक 07.10.2021 को नोटिस/पत्र प्रेषित किया गया है (नोटिस/पत्र की छायाप्रति संलग्न है), जिसका प्रत्युत्तर ईट भट्टे स्वामी द्वारा कार्यालय में प्रेषित नहीं किया गया है। ईट भट्टों का विवरण निम्नवत् है:-

1. मै० माँ लक्ष्मी ईट उद्योग (निर्माणाधीन चिमनी/भट्टा), ग्राम-दलपतिपुर, आलीपुर खेड़ा, तहसील-भोगांव, जनपद-मैनपुरी द्वारा श्री अशोक कुमार पुत्र श्री राजाराम, ग्राम-दलपतिपुर, आलीपुर खेड़ा, तहसील-भोगांव, जनपद-मैनपुरी।
  - क्षेत्रीय कार्यालय, फिरोजाबाद द्वारा ईट भट्टे को नोटिस/पत्र संख्या 547/सा०-74/2021, दिनांक 07.10.2021 को प्रेषित किया गया है (छायाप्रति संलग्न)।
  - ईट भट्टा स्वामी द्वारा इस कार्यालय से प्रेषित नोटिस/पत्र दिनांक 07.10.2021 का कोई प्रत्युत्तर/अनुपालन आख्या कार्यालय में प्रेषित नहीं किया गया है।
2. मै० बी०डी० ब्रिक फील्ड (निर्माणाधीन चिमनी/भट्टा), ग्राम-सिंहपुर मन्छना, पर्वतपुर रोड़, तहसील-भोगांव, जनपद-मैनपुरी द्वारा श्री भू दयाल सिंह पुत्र श्री राम सेवक, ग्राम-सिंहपुर मन्छना, पर्वतपुर रोड़, तहसील-भोगांव, जनपद-मैनपुरी।
  - क्षेत्रीय कार्यालय, फिरोजाबाद द्वारा ईट भट्टे को नोटिस/पत्र संख्या 548/सा०-74/2021, दिनांक 07.10.2021 को प्रेषित किया गया है (छायाप्रति संलग्न)।
  - ईट भट्टा स्वामी द्वारा इस कार्यालय से प्रेषित नोटिस/पत्र दिनांक 07.10.2021 का कोई प्रत्युत्तर/अनुपालन आख्या कार्यालय में प्रेषित नहीं किया गया है।
3. (निर्माणाधीन चिमनी/भट्टा), ग्राम-नगला बनवारी मन्छना, तहसील-मैनपुरी, जनपद-मैनपुरी द्वारा श्री संतोष कुमार पुत्र श्री अनार सिंह, ग्राम-नगला बनवारी मन्छना, तहसील-मैनपुरी, जनपद-मैनपुरी।
  - क्षेत्रीय कार्यालय, फिरोजाबाद द्वारा ईट भट्टे को नोटिस/पत्र संख्या 549/सा०-74/2021, दिनांक 07.10.2021 को प्रेषित किया गया है (छायाप्रति संलग्न)।
  - ईट भट्टा स्वामी द्वारा इस कार्यालय से प्रेषित नोटिस/पत्र दिनांक 07.10.2021 का कोई प्रत्युत्तर/अनुपालन आख्या कार्यालय में प्रेषित नहीं किया गया है।

क्रमशः .....2..


ईट भट्टा वायु प्रदूषणकारी प्रकृति का है तथा ईट भट्टा स्थल के चयन हेतु उ० प्र० शासन, पर्यावरण अनुभाग के सं० 921/55-पर्या०/12-94 (पर्या०)/11 लखनऊ दिनांक 27.06.12 द्वारा नये ईट भट्टों के सम्बन्ध में जारी ईट भट्टा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 के अनुसार उपयुक्त/उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः आपसे अनुरोध करना है कि उपरोक्त समस्त तीनों ईट भट्टों/ निर्माणाधीन स्थिर चिमनी स्थापना सम्बन्धी कार्य बिना अनुमति/अनापत्ति के अनाधिकृत एवं नियम विरुद्ध स्थापित किये जाने को दृष्टिगत रखते हुए ईट भट्टों के विरुद्ध वायु प्रदूषण (निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा 31 ए में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस/ बन्दी आदेश/ विधिक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की जाती है।

सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

सलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

  
(मनोज कुमार) 02/11/2021  
क्षेत्रीय अधिकारी(प्र०)

## उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदेश संख्या

सी-4 / ईट-691 / बन्दी आदेश / 2021

पंजीकृत

दिनांक

30/02/21

मै0 बी0डी0 ब्रिक फील्ड,  
ग्राम-सिंहपुर मन्छना, पवर्तपुर रोड, तहसील-भोगांव,  
जनपद-मैनपुरी।

द्वारा

श्री भू दयाल सिंह पुत्र श्री राम सेवक,  
ग्राम-सिंहपुर मन्छना, तहसील-भोगांव,  
जनपद-मैनपुरी।

आप द्वारा ईट के उत्पादन हेतु अनाधिकृत रूप से स्थापित किये जा रहे निर्माणाधीन ईट भट्टा मै0 बी0डी0 ब्रिक फील्ड, ग्राम-सिंहपुर मन्छना, पवर्तपुर रोड, तहसील-भोगांव, जनपद-मैनपुरी का निरीक्षण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, फिरोजाबाद के अधिकारियों द्वारा दिनांक 29.09.2021 को किया गया, जिसकी आख्या क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा पत्रांक- 631/सा-74/2021 दिनांक- 02.11.2021 के माध्यम से बोर्ड मुख्यालय प्रेषित की गयी है। आख्या में उल्लिखित है कि निरीक्षण के दौरान आप द्वारा अनाधिकृत रूप से स्थापित किये जा रहे ईट भट्टे पर पक्की चिमनी का निर्माण किया जाता पाया गया, जबकि आपके ईट भट्टे का स्थल उ0प्र0 शासन, पर्यावरण अनुभाग के पत्र संख्या 921/55-पर्या0/12-94(पर्या0)/11, लखनऊ दिनांक 27.06.2012 हेतु जारी गाइड लाइन के अनुरूप नहीं है। उक्त के सम्बन्ध में क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र सं0 548/सा-74/2021 दिनांक- 07.10.2021 द्वारा आपको नोटिस प्रेषित किया गया था जिसका कोई प्रत्युत्तर आप द्वारा राज्य बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया है।

उक्त के दृष्टिगत क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फिरोजाबाद के द्वारा पत्रांक- 621/सा-74/2021 दिनांक- 02.11.2021 के माध्यम से प्रेषित आख्या में अनाधिकृत रूप से स्थापित किये जा रहे निर्माणाधीन ईट भट्टा मै0 बी0डी0 ब्रिक फील्ड, ग्राम-सिंहपुर मन्छना, पवर्तपुर रोड, तहसील-भोगांव, जनपद-मैनपुरी के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा- 31ए के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस/बन्दी आदेश/विधिक कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थिति में वायु प्रदूषण की रोकथाम, जन स्वास्थ्य एवं पर्यावरण हित में जन साधारण को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से अनाधिकृत रूप से स्थापित किये जा रहे ईट भट्टा मै0 बी0डी0 ब्रिक फील्ड, ग्राम-सिंहपुर मन्छना, पवर्तपुर रोड, तहसील-भोगांव, जनपद-मैनपुरी के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा 31-ए के अंतर्गत राज्य बोर्ड द्वारा तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित आदेश/निर्देश जारी किये जाते हैं :-

1. यह कि अनाधिकृत रूप से स्थापित किये जा रहे ईट भट्टा मै0 बी0डी0 ब्रिक फील्ड, ग्राम-सिंहपुर मन्छना, पवर्तपुर रोड, तहसील-भोगांव, जनपद-मैनपुरी के निर्माण कार्य को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।

डी.जी. 12 वीं, विगृति खण्ड,  
गोमती नगर, लखनऊ-226010  
ई-मेल-[info@uppeb.com](mailto:info@uppeb.com)  
वेबसाइट-[www.uppeb.com](http://www.uppeb.com)

FC- 12 Vibhuti Khand,  
Gomti Nagar, Lucknow-226010  
e-mail: [info@uppeb.com](mailto:info@uppeb.com)  
Web Site: [www.uppeb.com](http://www.uppeb.com)


Listed in  
Classified List

यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अनाधिकृत रूप से स्थापित किये जा रहे ईंट भट्टा मै0 बी0डी0 ब्रिक फील्ड, ग्राम-सिंहपुर मन्छना, पवर्तपुर रोड, तहसील-भोगांव, जनपद-मैनपुरी को मिलने वाली सुविधाओं जैसे कोयले की आपूर्ति, खनन की अनुमति, पानी की आपूर्ति, जिला पंचायत की अनुमति आदि न दे।

(आर0के0 सिंह)  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-4

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिलाधिकारी, मैनपुरी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अनाधिकृत रूप से स्थापित किये जा रहे ईंट भट्टा मै0 बी0डी0 ब्रिक फील्ड, ग्राम-सिंहपुर मन्छना, पवर्तपुर रोड, तहसील-भोगांव, जनपद-मैनपुरी के निर्माण कार्य को तत्काल प्रभाव बन्द कराने हेतु सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. प्रभारी अधिकारी, खनन, जनपद-मैनपुरी।
3. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, जनपद-मैनपुरी।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, फिरोजाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संबंधित अधिकारियों से सम्पर्क कर उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराकर अनुपालन आख्या तीन दिन में प्रेषित करें।

  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त-4

कार्यालय उप जिलाधिकारी,  
भोगांव (मैनपुरी)

Annex-4

संख्या : 22८०

दिनांक : 06 / 05 / 2022

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय,  
मैनपुरी।

विषय- मै0 बी0डी0 ब्रिक फील्ड, ग्राम-सिंहपुर, मन्छना, पवर्तपुर रोड़, तहसील-भोगांव, जनपद-मैनपुरी द्वारा श्री भू दयाल सिंह पुत्र श्री राम सेवक, ग्राम-सिंहपुर मन्छना, तहसील-भोगांव, जनपद-मैनपुरी एवं मै0 माँ लक्ष्मी ईट उद्योग, ग्राम-दलपतिपुर, अलीपुर खेड़ा, तहसील-भोगांव, जनपद-मैनपुरी को बन्द कराये जाने सम्बन्धी अनुपालन आख्या।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या 50/सा0-74 (बन्दी आदेश)/2022, दिनांक 30.04.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने की कृपा करें। मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-4), उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या एच 69984/सी-4/ईट-691/बन्दी आदेश/2021 दिनांक 30.12.2021 द्वारा मै0 बी0डी0 ब्रिक फील्ड, ग्राम-सिंहपुर, मन्छना, पवर्तपुर रोड़, तहसील-भोगांव, जनपद-मैनपुरी द्वारा श्री भू दयाल सिंह पुत्र श्री राम सेवक, ग्राम-सिंहपुर मन्छना, तहसील-भोगांव, जनपद-मैनपुरी एवं पत्र संख्या एच 69983/सी-4/ईट-690/बन्दी आदेश/2021 दिनांक 30.12.2021 द्वारा मै0 माँ लक्ष्मी ईट उद्योग, ग्राम-दलपतिपुर, अलीपुर खेड़ा, तहसील-भोगांव, जनपद-मैनपुरी को क्रमशः दिनांक 02.05.2022 एवं दिनांक 04.05.2022 को बन्द करा दिया गया है तथा बन्दी नोटिस की प्रति प्राप्त करा दी गई है। जिसकी छायाप्रति संलग्न कर सादर सूचनार्थ प्रेषित है।

भवदीय

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

उप जिलाधिकारी

प्रतिलिपि:- क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0), उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, फिरोजाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

उप जिलाधिकारी

राज्य बोर्ड मुख्यालय के बन्दी आदेश पत्र संख्या H69984/C-4/ईट-691/बन्दी

आदेश/2021 दिनांक 30.12.2021 के क्रम में मैसर्स बी0डी0 ब्रिक फील्ड, ग्राम-सिंहपुर, मन्चना,

पवर्तपुर रोड, तहसील-भोगांव, जनपद-मैनपुरी द्वारा श्री भू दयाल सिंह पुत्र श्री राम साहू,

ग्राम-सिंहपुर मन्चना, तहसील-भोगांव, जनपद-मैनपुरी को दिनांक 02/01/22 को

कराया गया।

M.M. Gaur  
M.M. Gaur  
02/01/22  
(बैज्ञानिक सहायक)  
उ० प्र० प्रइका निमंत्रण  
बोर्ड जनपद-मैनपुरी

मन्चला मुर्गा आरक्षण 2/1/22  
(मनादेश)  
शाना - स्ला 3  
तहसील - भोगांव  
जनपद - मैनपुरी

नोट

- उद्योग प्रतिनिधि का हस्ताक्षर।
- बन्दी आदेश प्राप्त किया।
- (बिना अनुमति के उत्पादन कार्य नहीं किया जायेगा)

इस अर्थ निम्नलिखित नियमों का पालन करना होगा।  
किसी भी कारण से उपरोक्त नोटिस को नकारा जायेगा।

